

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी उपस्थित। अप्रार्थी वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित। अप्रार्थी वादी द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र बाबत वाद विचारणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का प्रस्तुत नहीं किया गया एवं बहस हेतु भी उपस्थित नहीं हुए। अतः अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस विवादित भूमि के बाबत विभाजन हेतु अप्रार्थी वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है, उस भूमि का पूर्व में ही विभाजन किया जाकर नामांतरण भी तस्दीक किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। जिसकी नामांतरण प्रविष्टि संख्या 1084 दिनांक 09.11.2020 की प्रति भी प्रस्तुत की गई है, तथा प्रकरण में अब कोई अन्य कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादी खारिज किया जावे।

अप्रार्थी वादी द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी के प्रस्तुत तथ्यों के खण्डन स्वरूप कोई तर्क या तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, ना ही प्रार्थनापत्र का किसी भी रूप से कोई खण्डन करते हुए जवाब प्रस्तुत किया गया है तथा बहस हेतु भी उपस्थित नहीं हुए। जबकि प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नामांतरण प्रविष्टि संख्या 1084 दिनांक 09.11.2020 की प्रति प्रार्थी के कथनों की प्रबल पुष्टि करती है तथा ऐसा कोई तथ्य भी उपलब्ध नहीं है ना ही किसी भी पक्ष द्वारा जाहिर किया गया है कि उक्त नामांतरण के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो तथा प्रस्तुत तथ्य गलत हो। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य नामांतरण संख्या 1084 दिनांक 09.11.2020 के दृष्टिगत यह उचित प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन पूर्व में ही किया जा चुका है। अतः वाद वादी अब विचार योग्य नहीं है। अतः वाद वादी सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय—जयपुर

